डी.ए.बी.पी. की नयी विज्ञापन नीति

2038. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मोम अफजल ल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या यह सच हैं कि विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) की नयी विज्ञापन नीति के अनुसार एक ही संस्थान से निकलने वाले दो समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन संयुक्त दर पर न दे कर, अब इन्हे अलग-अलग विज्ञापन दरें दी जाएगी ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण सरकार को अनुमानतः कितनी वित्तीय हानि होगी और ऐसा करने के क्या कारण हैं; और

(ग) डी.ए.वी.पी. की नयी विज्ञापन नीति क्या हैं और उसका ब्यौरा क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के.पी. सिंह) : (क) से (ग) सरकार की विज्ञापन नीति में कोई परिवर्तन नही आया हैं। तथापि, विज्ञापन दर ढांचे को तर्क संगत बनाने और नए नये दर फार्मूल की सिफारिश करने हेतु सरकार द्वारा नियुक्त एक दर निर्धारण समिति की सिफारिशों के अनुसार 1.4.95 से विज्ञापन दरों में संशोधन किया गया था और बहु-संस्करणों पर प्रत्येक विज्ञापन दरों से कटौती करने संबंधी प्रक्रिया को उसी तारीख से समाप्त कर दिया था। बाद में लघु और मध्यम समाचारपत्रों (50,000 प्रतियों तक के परिचालन वाले समाचारपत्र) के मामले मैं संशोधित विज्ञापन दर स्वरूप मे लघु एवं मध्यम समाचारपत्रों को स्वीकार्य तोलन-व्यय में भी 1.7.95 से 15% की वृद्वि की गई और उनकी दरों में उसी तारीख से संशोधन किया गया।

बहु-संस्करणों से कटौती करने संबंधी प्रक्रिया को समाप्त करने से लगभग 2 करोड़ रूपए का अतिरिक्त वार्षिक व्यय होने की संभावना हैं।

Delay in declaring result of Air Hostess examination

2039. DR. RANBIR SINGH:
SHRI RAM NATH KOVIND:

Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether it is a fact that despite the passage of more than 10 months the final result of Air Hostess and Flight Purser examination have not yet been announced by Airlines; if so, the reasons therefor; and

(b) by when the final results are likely to be announced?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) and (b) No recruitment action has been taken in Indian Airlines since July, 1992 due to a ban on recruitment from outside. Air India issued an advertisement in May, 1994 for recruitment of Air Hostesses/ Assistant Flight Pursers. Written examination was conducted in August, 1994 and personal interviews were held in October, 1994. Proceedings have been stayed pending changes in the qualification for selection.

उत्तर प्रदेश सरकार को दी जाने वाली धनराशि

2040. **मौलाना हबीबुर्रहमान नोमानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच हैं कि उत्तर प्रदेश के बुनकरों को दिए गए 46 करोड़ 15 लाख रूपये के ऋणों को माफ करने की कार्यवाही के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 24 करोड़ 15 लाख रूपये उत्तर प्रदेश सरकार को दिए जाने थे; यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार को उक्त धनराशि दे दी गई हैं अथवा नहीं;

(ख) यदि हां, तो यह धनराशि कब और किस तारीख को भेजी गई थी; और

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेजगारी को वापस न लिया जाना

2041. **श्री अनन्तराम जायसवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या सरकार ने रिजर्व बैंक को रेजगारी वापस न लेने के संबंध में अधिकृत तौर पर कोई निदेश जारी किया हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और ऐसे निदेश किस आधार पर जारी किये गये हैं;

((ख) यदि नहीं तो बैंकों द्वारा रेजगारी वापस न लिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या बैंकों से बड़े पैमाने पर रेजगारी का लेनदेन कमीशन के आधार पर ही किया जाता हैं और यदि हां, तो इस समस्या का समाधान करने हेतु सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया हैं कि सिक्कों के लिए बड़ी संख्या ने निविदाएं प्राप्त करने वाला उनका सर्राफ अनुभाग उनके नई दिल्ली कार्यालय वर्ष में 1980 से बन्द पड़ा हैं, क्योंकि सिक्कों की निरन्तर काफी कमी रही हैं। हाल ही में, आरबीआई के नई दिल्ली कार्यालयों को सिक्कों के लिए बड़ी संख्या में निविदा जमा करने हेतु व्यापारी/सर्राफ से अनुरोध प्राप्त हुआ हैं।

(ग) आर बी आई के अनुसार वे रेजगारी/ छोटे सिक्के स्वीकार करते समय निविदाकारों से कोई कमीशन वसूल नहीं करते हैं।

Irregularities in Bank of India Finance Limited

2042. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government is aware that the Special Officer enquiring into the irregularities in Securities Transaction of Bank of India Finance Limited has submitted his Report on the 24th of August, 1994;

(b) whether prosecution has been launched against persons found guilty and if not when will it be launched; and

(c) what are the reasons for not taking action on the report of the Special Officer for so long?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (c) Reserve Bank of India (RBI) have reported that they had appointed Shri G.R. Bedge, IAS (Retd.) in June, 1994 for looking into accountability of the top management for the irregularities in securities transactions in Bank of India Finance Ltd. The Special Officer had identified ten officials for the various irregularities. The action taken against these officials is as under:

(i) Dismissed	2
(ii) Major penalty proceedings initiated	2
(iii) Letter of displeasure communicated	1
(iv) Reprimanded	1
(v) Referred to CVC	1

No departmental action was possible against three officials as they had retired from service. A copy of the report of the Special Officer has also been referred to CBI.

Report of JPC on security SCAM

2043. SHRI E. BALANANDAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether following the report of the Joint Parliamentary Committee to enquire into the irregularities in securities and bank transactions, the Government or RBI caused special detailed investigation to be made by appointing special officers, into securities transactions of the banks involved in the Scam;

(b) if so, whether investigations have been completed and reports received; and

(c) if so, details of actions if any taken on the reports?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (c) Reserve Bank of India (RBI) had appointed retired IAS Officers as Special Officers in the following 8 public sector banks and subsidiaries for fixing accountability of the top management for the irregularities in securities transactions:—

1. Andhra Bank and Andhra Bank Financial Services Limited.
2. Allahabad Bank and Allbank Finance Limited.